



Neutral Citation No. – 2026:AHC:69093

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 36014 वर्ष 2025

सानी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: अब्दुल मजीद, सैयद महफूज हुसैन शाह

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 80

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन दिनांक 27.11.2024 की आरोप-पत्र तथा दिनांक 18.01.2025 के संज्ञान एवं समन आदेश सहित वाद संख्या 1587 वर्ष 2025 (राज्य बनाम सानी), जो वाद अपराध संख्या 331 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुआ है, धारा 406, 420, 376 भारतीय दंड संहिता, थाना रसूलपुर, जनपद फिरोजाबाद के अंतर्गत, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित विचारण न्यायालय प्रथम, फिरोजाबाद के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दिनांक 10.09.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो वाद अपराध संख्या 331 वर्ष 2024 के रूप में धारा 406, 420 एवं 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी, जिसमें कथित घटनाओं के संबंध में अवधि 10.09.2020 से 20.02.2024 के मध्य की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतिम घटना दिनांक 20.02.2024 को घटित होना बताया गया है, तथापि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग सात माह के विलंब के पश्चात् दर्ज कराई गई तथा प्रथम सूचनाकर्ता/विपक्षी संख्या 2 द्वारा उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि समय बीतने के साथ पक्षकारों ने दिनांक 02.08.2025 को समझौता कर लिया है तथा आवेदक और पीड़िता ने विवाह कर लिया है और अब दोनों एक ही छत के नीचे पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। दिनांक 02.08.2025 का समझौता विलेख वर्तमान आवेदन के संलग्नक संख्या 9 के रूप में संलग्न है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26.11.2025 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक अन्य समझौता आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2026 को विधिवत सत्यापन किया गया। उक्त दिनांक 26.11.2025 के समझौता आवेदन में पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने समझौता कर लिया है और वे पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों का विवाह दिनांक 20.09.2024 को संपन्न हुआ था और इस तथ्य का विद्वान संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2026 के आदेश में विधिवत सत्यापन किया गया है। अतः उपर्युक्त समझौते तथा पक्षकारों द्वारा विवाह कर लिए जाने के तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त समझौते के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को उच्चतम न्यायालय के **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2003(4) एस.सी.सी. 675** तथा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एस.सी.सी. 303** के निर्णयों के आलोक में निरस्त किया जाए।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के **नारिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, जो (2014) 6 एस.सी.सी. 466** में प्रकाशित है, **योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य, जो (2014) 9 एस.सी.सी. 653** में प्रकाशित है तथा **पारबतभाई आहिर बनाम गुजरात राज्य, जो (2017) 9 एस.सी.सी. 641** में प्रकाशित है, के निर्णयों पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक तथा विपक्षी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों का निपटारा कर लिया है और इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 उक्त मामले को आवेदक के विरुद्ध आगे नहीं चलाना चाहता है। विपक्षी संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत यदि अभियोजन को आगे चलने दिया जाता है तो कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने उपर्युक्त प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं की।

7. उच्चतम न्यायालय ने **बी.एस. जोशी (उपर्युक्त)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य समझौते/सुलह के माध्यम से विवाद समाप्त हो गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में निहित किसी भी बात के बावजूद, दर्ज समझौते के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता आदि की कार्यवाही को निरस्त करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने **ज्ञान सिंह (उपर्युक्त)** के मामले में पैराग्राफ-61 में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:

“अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधों के शमन के लिए आपराधिक

न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति से भिन्न और स्वतंत्र है, उच्च न्यायालय की अपनी अंतर्निहित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा परिवाद को निरस्त करने की शक्ति। अंतर्निहित शक्ति व्यापक विस्तार वाली है और उस पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है, किंतु इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अथवा (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। अपराधी और पीड़ित के मध्य विवाद के समाधान की स्थिति में आपराधिक कार्यवाही अथवा परिवाद अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट को किन मामलों में निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसकी कोई निश्चित श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक विकृति से संबंधित जघन्य एवं गंभीर अपराध अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को, पीड़ित अथवा पीड़ित के परिवार और अपराधी के मध्य समझौता हो जाने के बावजूद, उपयुक्त रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के अधीन अपराधों अथवा उस हैसियत में कार्य करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के मध्य किसी समझौते को ऐसी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। किंतु ऐसे आपराधिक मामले, जिनका स्वरूप अत्यधिक और मुख्यतः दीवानी है, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी अथवा इसी प्रकार के लेन-देन से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उत्पन्न अपराध अथवा विवाह संबंधी अपराध, जिनमें दहेज आदि से संबंधित मामले अथवा पारिवारिक विवाद सम्मिलित हैं, जहां किया गया कृत्य मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया है, निरस्तीकरण के प्रयोजन हेतु भिन्न आधार पर होते हैं। इस श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसकी दृष्टि में अपराधी और पीड़ित के मध्य समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण और दूरस्थ है तथा आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या समझौते और सुलह के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अन्यायपूर्ण होगा अथवा न्याय के हित के प्रतिकूल होगा, अथवा आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा तथा क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आपराधिक मामले को समाप्त करना उचित होगा; और यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की अपनी अधिकारिता के भीतर होगा।”

8. हाल ही में राम गोपाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1488 वर्ष 2012, दिनांक 29.09.2021 को निर्णीत, जो (2022) 118 ए.सी.सी. 318 में प्रकाशित है, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः प्रतिपादित किया कि यदि अपराध शमनीय न भी हों, तब भी उच्च न्यायालय अपराधों की प्रकृति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का समाधान कर लिया है और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पीड़ित ने आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किए जाने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमति प्रदान की है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को निरस्त कर सकता है। इस प्रकार अभिनिर्धारित करते हुए यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के परिणामस्वरूप उसके शरीर तक सीमित प्रभाव से परे उसके परिणामी प्रभावों का निर्विवाद रूप से मूल्यांकन कर सकता है और तत्पश्चात व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, ताकि अपराध, भले ही दंडित न हो, आपराधिक न्याय प्रशासन की मूल भावना में हस्तक्षेप अथवा उसे पंगु न कर सके। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 में सिद्धांतों को निम्नवत् संक्षेपित किया गया है:-

“14. दूसरे शब्दों में, गंभीर अथवा जघन्य अपराध अथवा ऐसे अपराध जिनमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो अथवा जिनका समाज के सामाजिक एवं नैतिक ताने-बाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो अथवा जो लोक नीति से संबंधित विषयों से जुड़े हों, उन्हें केवल दो व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे अपराधों में व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करने की क्षमता होती है। घृणित अपराधों को कार्यवाही निरस्तीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त करने से न केवल समुदाय को गलत संदेश जाएगा, बल्कि ऐसे बेईमान आदतन अथवा पेशेवर अपराधियों को अनुचित लाभ भी मिल सकता है, जो दबाव, धमकी, सामाजिक बहिष्कार, रिश्त अथवा अन्य संदिग्ध साधनों के माध्यम से ‘समझौता’ प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्वविदित है कि ‘यदि इससे बचा जा सके तो किसी दोषी व्यक्ति को बच निकलने न दिया जाए।’”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. उच्चतम न्यायालय ने के. धंडापानी (उपर्युक्त) तथा मफत लाल (उपर्युक्त) के मामलों में भी इस आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की थी कि अभियुक्तों ने अभियोजिकाओं के साथ विवाह कर लिया था और, दूसरे, न्यायालय उक्त तथ्य से आंखें नहीं मूंद सकता। चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा के. धंडापानी (उपर्युक्त) के मामले में दिया गया निर्णय संक्षिप्त है, अतः उसे पूर्णतः निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:-

“अनुमति प्रदान की गई।

अपीलकर्ता, जो अभियोजिका का मामा है, तमिलनाडु राज्य में वालायर समुदाय से संबंधित है, जो राज्य में अति पिछड़ा समुदाय है। वह एक निजी कारखाने में दैनिक मजदूरी पर लकड़ी काटने का कार्य करता है। उसके विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराओं 5(ज)(ii) सहपठित धारा 6, 5(ट) सहपठित धारा 6 तथा 5(ठ) सहपठित धारा 6 के अधीन बलात्कार करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विचारण के पश्चात् उक्त अपराधों के लिए उसे दोषसिद्ध किया गया तथा 31.10.2018 को त्वरित विचारण महिला न्यायालय, तिरुप्पुर के सत्र न्यायाधीश द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त न्यायालय ने दिनांक 13.02.2019 के आदेश द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. पार्थिवन ने प्रस्तुत किया कि उसके विरुद्ध आरोप यह था कि उसने अभियोजिका से विवाह करने के वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने बताया कि वास्तव में उसने अभियोजिका से विवाह कर लिया है और उनके दो बच्चे हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय करना चाहिए और अपीलकर्ता तथा अभियोजिका के पारिवारिक जीवन को विचलित करना न्याय के हित में नहीं होगा।

दिनांक 08 मार्च, 2022 को कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के पश्चात् हमने जिला न्यायाधीश को अभियोजिका की वर्तमान स्थिति के संबंध में उसका कथन दर्ज करने का निर्देश दिया। अभियोजिका का कथन अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके दो बच्चे हैं, जिनकी देखभाल अपीलकर्ता द्वारा की जा रही है और वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस. ने इस आधार पर अपीलकर्ता को कोई राहत प्रदान किए जाने का विरोध किया कि अपराध की तारीख को अभियोजिका की आयु 14 वर्ष थी तथा उसने प्रथम बच्चे को 15 वर्ष की आयु में और दूसरे बच्चे को 17 वर्ष की आयु में जन्म दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजिका के साथ अपीलकर्ता का विवाह विधिसम्मत नहीं है। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि उक्त विवाह केवल दंड से बचने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है और इस न्यायालय द्वारा राहत प्रदान किए जाने के पश्चात् अपीलकर्ता अभियोजिका तथा बच्चों की देखभाल करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित मत है कि अभियोजिका के मामा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दंडादेश को हमारे संज्ञान में लाए गए बाद के घटनाक्रमों के दृष्टिगत निरस्त किया जाना चाहिए। यह न्यायालय वास्तविक परिस्थितियों से अपनी आंखें नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मूंद सकता और अपीलकर्ता तथा अभियोजिका के सुखी पारिवारिक जीवन को बाधित नहीं कर सकता। हमें तमिलनाडु में लड़की के अपने मामा से विवाह करने की प्रथा के संबंध में अवगत कराया गया है।

उपर्युक्त कारणों से, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में दोषसिद्धि और दंडादेश निरस्त किए जाते हैं और इसे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। तदनुसार, अपील का निस्तारण किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो उसका भी निस्तारण माना जाएगा।

यदि अपीलकर्ता अभियोजिका की उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह अथवा अभियोजिका की ओर से राज्य इस आदेश में संशोधन हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है।”

10. उच्चतम न्यायालय ने श्रीराम उरांव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, आपराधिक अपील संख्या 41 वर्ष 2021, दिनांक 10.01.2025 को निर्णीत, अपीलकर्ता पर अधिरोपित दोषसिद्धि तथा दंडादेश को भी इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ता/अभियुक्त तथा शिकायतकर्ता/पीड़िता ने एक-दूसरे से विवाह कर लिया था।

11. इसी प्रकार, दासरी श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य, जो (2024) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 936 में प्रकाशित है, के मामले में, समान परिस्थितियों तथा लगभग समान प्रावधानों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही को निरस्त कर दिया। दासरी श्रीकांत (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ 8 से 10 निम्नवत् हैं:-

“8. चूंकि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे से विवाह कर लिया है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि किए जाने का परिणाम यह होगा कि अभियुक्त अपीलकर्ता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को कारावास भेजा जाएगा, जिससे उसका शिकायतकर्ता के साथ वैवाहिक संबंध संकट में पड़ सकता है।”

9. परिणामस्वरूप, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथा उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को निरस्त करने के लिए इच्छुक हैं।

10. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जून, 2023 को पारित आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 2021 को पारित निर्णय एतद्वारा निरस्त एवं अपास्त किए जाते हैं।”

12. महेश मुकुंद पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के एक अन्य निर्णय में, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 614 में प्रकाशित है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354-ए, 363, 366, 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन दंडनीय अपराधों से संबंधित कार्यवाही को अभियुक्त और पीड़िता के मध्य हुए विवाह के आधार पर निरस्त कर दिया। अभिलेख पर यह तथ्य लाया गया कि अभियुक्त और पीड़िता के वैवाहिक संबंध से दो बच्चे उत्पन्न हुए थे, जिनके दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत किए गए थे। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही निरस्त कर दी कि अभियोजन को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, बल्कि इससे अपीलकर्ता/अभियुक्त तथा पीड़िता और उनके बच्चों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।

13. उच्चतम न्यायालय ने माधुकर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के एक अन्य निर्णय में, जो आपराधिक विशेष अनुमति याचिका संख्या 7212 वर्ष 2025 से उत्पन्न हुआ था, तथा प्रभाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जो आपराधिक विशेष अनुमति याचिका संख्या 7495 वर्ष 2025 से उत्पन्न हुआ था, के साथ, वाद अपराध संख्या 302 वर्ष 2023, दिनांक 20.11.2023, धारा 324, 141, 143, 147, 149, 452, 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन तथा वाद अपराध संख्या 304 वर्ष 2023, दिनांक 21.11.2023, धारा 376, 354-ए, 354-डी, 509 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के अधीन संस्थित कार्यवाहियों को भी पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 6, 7 एवं 8 निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"6. प्रारंभ में, हम यह स्वीकार करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध निस्संदेह गंभीर एवं जघन्य प्रकृति का है। सामान्यतः, ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाहियों को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर निरस्त करने को हतोत्साहित किया जाता है और इसकी अनुमति सहज रूप से नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन न्यायालय की शक्ति किसी कठोर सूत्र से बाधित नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में हमारे समक्ष एक असामान्य स्थिति है, जहां धारा 376 भारतीय दंड संहिता सहित गंभीर आरोपों को समाविष्ट करने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट, विपक्षी पक्ष द्वारा पूर्व में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। घटनाओं का यह क्रम आरोपों को एक निश्चित संदर्भ प्रदान करता है और यह संकेत करता है कि दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट संभवतः प्रतिक्रिया स्वरूप उठाया गया कदम हो सकती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि दूसरी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह इच्छा व्यक्त की है कि वह मामले को आगे नहीं चलाना चाहती। उसने कहा है कि अब उसका विवाह हो चुका है, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यवस्थित है और आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना केवल उसकी शांति एवं स्थिरता को भंग करेगा। उसका रुख न तो अस्थिर है और न ही अस्पष्ट; उसने अभिलेख पर प्रस्तुत शपथपत्र सहित लगातार यह कहा है कि वह अभियोजन का समर्थन नहीं करती और मामले को समाप्त करना चाहती है। पक्षकारों ने भी सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने मतभेदों का समाधान कर लिया है और पारस्परिक समझ कायम कर ली है। इन परिस्थितियों में विचारण को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। इससे सभी संबंधित व्यक्तियों, विशेषकर शिकायतकर्ता की परेशानी ही लंबी होगी तथा किसी सार्थक परिणाम की संभावना के बिना न्यायालयों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

8. अतः, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा शिकायतकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए रुख और समझौते की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और यह केवल विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”

14. मैंने अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों/अभिकथनों का परिशीलन किया है और मेरा मत है कि वे ऐसे स्वरूप के नहीं हैं जो उन अपवादित मामलों की श्रेणी में आते हों, जिनमें कार्यवाही को निरस्त करने तथा अभियुक्त को दंड से बच निकलने की अनुमति देने का समाज पर व्यापक रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि पक्षकारों ने पहले ही अपने विवाद का समाधान कर लिया है, अतः आवेदक की दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक के विरुद्ध आरोप निहित रूप से वापस लिए एवं त्याग दिए गए हैं। अतः न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कार्यवाही निरस्त किया जाना उचित है।

15. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा कर लिया है, जिसका विचारण न्यायालय द्वारा भी सत्यापन किया जा चुका है और जिसकी आख्या की प्रति अभिलेख पर है। अतः यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 2, जो विचारण आगे बढ़ने की स्थिति में अभियोजन का मुख्य साक्षी होगा, ने विचारण के दौरान प्रतिकूल साक्षी होने की अपनी स्पष्ट एवं निर्विवाद इच्छा व्यक्त की है। ऐसी परिस्थितियों में, मामले के गुण-दोष एवं सत्यता से परे, यदि विचारण की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे अधीनस्थ विद्वान न्यायालय का बहुमूल्य समय काफी हद तक व्यर्थ हो सकता है।

16. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों के मध्य किए गए समझौते के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए और इन सभी तथ्यों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को स्वीकार किया जाता है तथा उपर्युक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

17. उपर्युक्त के दृष्टिगत, दिनांक 27.11.2024 की आरोप-पत्र तथा दिनांक 18.01.2025 के संज्ञान/समन आदेश सहित वाद संख्या 1587 वर्ष 2025 (राज्य बनाम सानी), जो वाद अपराध संख्या 331 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुआ है, धारा 406, 420, 376 भारतीय दंड संहिता, थाना रसूलपुर, जनपद फिरोजाबाद के अंतर्गत, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित विचारण न्यायालय प्रथम, फिरोजाबाद के न्यायालय में लंबित है, की समस्त कार्यवाही आवेदक के विरुद्ध एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

31 मार्च, 2026

राधिका

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”